रजिस्ट्री सं० डीएल०—33004/96 REGD. NO. D.L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 150] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 1996/चैत्र 23, 1918
No. 150] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 1996/CHAITRA 23, 1918

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1996

सा० का० नि० 185(अ).—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 8 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाए, अर्थात् :—

"उप-नियम (1) के अंतर्गत पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक हजार चार सौ पचास रुपए प्रतिवर्ष की दर पर इस शर्त के अध्यधीन परिकलित की जाएगी कि इस नियम के अधीन संदेय पेंशन की कुल रकम जिसके साथ पेंशन के संराशित भाग, यदि कोई हो, सहित पेंशन की ऐसी रकम भी है जो अधिकरण कार्यालय में पद धारण करते समय प्राप्त की गई है या जिसको प्राप्त करने का वह हकदार है, प्रतिमाह चार हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।"

[सं० 94/टी० सी० (आर० सी० टी०)/ 2-2]

एच० सी० पुनिया, कार्यपालक निदेशक/जन शिकायतें

पाद टिप्पणी :—मूल नियम दिनांक 19 सितम्बर, 1989 की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 844 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् 6 दिसम्बर, 1991 की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 726 (अ) द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 1996

G.S.R. 185(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (b) of sub-section (2) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 1996.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1989 in rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees one thousand four hundred and fifty per annum for each completed year of service subject to the condition that the aggregate amount of pension payable under this rule, together with the amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn, while holding office in the Tribunal shall not exceed rupees four thousand per mensem."

[No. 94/TC(RCT)/2-2]

H.C. PUNIA, Exec. Dir./Public Grievances

Footnote :—The Principal Rules were published in the Gazette of India vide notification No. G.S.R. 844 (E) dated 19th September, 1989 and subsequently amended by notification No. G.S.R. 726 (E) dated 6th December, 1991.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1996